राजस्व लोक अदालत केम्प पाटोदी तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस
मुकदमा न0 145/2018 2018/01465

वादीनी :– 1 मकाराम पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार निवासी भगवानपुरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. कानाराम, चम्पालाल पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार सा. भगवानपुरा
2. तहसीलदार पचपदरा

88 आर.टी.ए **दावा बाबत घोषणा**

निर्णय दिनांक:–22.06.2018

वादी ने यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत पाटोदी में प्रस्तुत की गई है।

वादी ने वाद पत्र में जाहिर किया कि ग्राम भगवानपुरा के ख0 न0 3821/2862 में वादी का नाम पंजियन दस्तावेज में लिपिकीय त्रुटि से मकाराम के स्थान पर पुरखाराम दर्ज हो गया, जिसका म्यूटेशन दर्ज करते समय भी अशुद्व नाम पुरखाराम दर्ज हो गया । जबकि सरकारी दस्तावेज व ग्राम भगवापनुरा के खाता संख्या 26 मे भी सही नाम मकाराम है। अतः अशुद्व नाम पुरखाराम की जगह शुद्व नाम मकाराम करने का निवेदन किया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, जमाबंदी व पटवारी पाटोदी/ आर.आई पाटोदी की संयुक्त रिपोर्ट व बयानकर्ता कानाराम, चम्पालाल, रेखाराम, तगाराम के ब्यानो का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम भगवानपुरा के ख0 न0 3821/2862 में वादी का नाम पुरखाराम राजस्व रेकर्ड में अशुद्व नाम दर्ज है। जब कि अन्य सरकारी दस्तावेज में मकाराम दर्ज है।

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम भगवानपुरा के ख0 न0 3821/2862 में तहसीलदार पचपदरा वादी का नाम पुरखाराम के स्थान पर मकाराम नाम दर्ज करे।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया ।
पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प... पाटोदी ....

Scanned by CamScanner